में इसका इन्द्राज किया जाता है।

10. विशेष आकस्मिक अवकाश–

(क) एक पुरूष कर्मचारी को बंध्याकरण करवाने पर प्राधिकृत चिकित्साधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर 6 दिन का एवं महिला कर्मचारी को 14 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय है।

(ख) कर्मचारी की पत्नी का बंध्याकरण करवाने पर उसकी देखभाल करने हेतु कर्मचारी को 7 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय है।

(ग) बंध्याकरण शल्य चिकित्सा के असफल होने के कारण दुबारा शल्य चिकित्सा करवाने पर पुरूष कर्मचारी को 6 दिन का एवं एक महिला कर्मचारी को 14 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देय है।

(घ) महिला कर्मचारी को गर्भनिरोध के लिए लूप (Loop) लगवाने पर एक दिन का विशेष अवकाश देय है।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

विशिष्ट आकस्मिक अवकाश

1. राजस्थान शिक्षक सेवा के सदस्य, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों राजस्थान शिक्षा सेवा संघ, राजस्थान शिक्षक संघ राजस्थान विश्व विद्यालय शिक्षक संघ के वार्षिक सम्मलेन में उपस्थित होने हेतु प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 4 दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है किन्तु एक समय में 2 दिन से अधिक नहीं तथा 30 नवम्बर के बाद ऐसा अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा। उसका समायोजना 15 दिन के शैक्षणिक अवकाश से किया जावेगा। जिसमें परीक्षा में निरीक्षक के रूप में कार्य सेमीनार कार्यशाला में भाग लेना शामिल है। [आदेश दिनांक 1.4.83 परिशिष्ट I]

2. चिकित्सा विभाग, खनिज एवं भू गर्भ के शिक्षा सम्बन्धी कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी राजस्थान में एक सत्र में 15 दिन बाहर तथा 6 दिन तक का अधिकतम विशिष्ट आकस्मिक अवकाश स्वीकृत हो सकेगा।[परि. 1 आदेश दिनांक 2.11.54]

3. राज्य सरकार के आदेश दि. 27.12.68 के अतिक्रमण में सरकार ने आदेश दिये हैं कि चौकीदारों को एक पक्ष में 24 घण्टों का विश्राम अवश्य दिया जावेगा तथा इसकी जगह कार्य करने को लगाये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जावे। [आदेश दिनांक 3.8.7?]

4. बन्ध्याकरण आपरेशन के लिए विशिष्ट आकस्मिक अवकाश :- पुरुष राज्य कर्मचारियों को बंध्याकरण आपरेशन के लिए 6 दिन तथा महिला कर्मचारियों को 14 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश स्वीकार्य है।

[आदे.दि.11.3.53,10.6.75एवं28.10.86]

5. उस पुरुष राज्य कर्मचारी जिसकी पत्नी बन्ध्याकरण की शल्य चिकित्सा (Non Puroreral Tubectomy) कराती है तो उसकी पत्नी की देखभाल के लिए 7 दिन का विशिष्ट अवकाश स्वीकृत है। [आदेश दिनांक 26.5.7?]

6. बन्ध्याकरण शल्य चिकित्सा के असफल होने पर यदि कोई कर्मचारी दूसरी बार वेसेक्टोमी शल्य चिकित्सा (Vasectomy opretion) कराता है तो चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र पर 6 दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश स्वीकार्य है।

[आदेश दि. 7.1.7?]

7. ट्यूबेक्टोमी शल्य चिकित्सा बिगड़ जाने पर दुबारा ऐसा ऑपरेशन कराने पर दुबारा 14 दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय होगा तथा वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के कारण हुई जटिलता के लिए चिकित्सालय से बाह्य/अंतरंग रोगी की तरह रहने पर पुरुष कर्मचारी को 6 दिन और स्त्री कर्मचारी को 14 दिन का अतिरिक्त विशिष्ट अवकाश स्वीकार्य होगा।

[आदेश दि. 12.7.7?]

शैक्षिक समाचार राजस्थान

SPECIAL CASUAL LEAVE

- चिकित्सा विभाग, खान एवं भूविज्ञान विभाग के शिक्षा संबंधी कार्य करने वाले कर्मचारियों को एक सत्र में 15 दिन बाहर तथा 6 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।
- बन्ध्याकरण ऑपरेशन के लिये पुरुष राज्य कर्मचारियों को 6 दिन व महिला राज्य कर्मचारियों को 14 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।
- उस पुरुष राज्य कर्मचारी को जिसकी पत्नि बन्ध्याकरण की शल्य चिकित्सा कराती है तो उसे अपनी पत्नि की देखभाल के लिये 7 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक

[illegible]

- ट्यूबक्टोमी शल्य चिकित्सा बिगड़ने पर, दुबारा शल्य चिकित्सा कराने पर उस पुरुष राज्य कर्मचारी को 14 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।
- पुर्नःनालीकरण कराने पर 21 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।
- महिला कर्मचारी को लूप लगवाने पर 1 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।
- राज्य कर्मचारी को राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय खेल–कूदों के अवसरों पर भाग लेने के लिये 30 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।

SPECIAL CASUAL LEAVE

शैक्षिक समाचार राजस्थान

- प्रादेशिक/स्थानीय स्तर की खेल–कूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये एक कलेण्डर वर्ष में 10 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।
- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.1(49)एफडी/(जी.आर.2)/82 दिनांक 1–9–1990 के अनुसार ऐच्छिक अवकाश व आकस्मिक अवकाश एक साथ स्वीकृत किये जा सकते हैं।
- यह अवकाश आदेश दिनांक 1–4–1983 यथा संशोधित दिनांक 29–8–1998 द्वारा तकनीकी शिक्षा सहित शिक्षा विभाग के परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों को भी वर्ष 2011–2012 से देय है।

SPECIAL CASUAL LEAVE

- राज्य सरकार ने कतिपय मामलों में राज्य कर्मचारियों को विशिष्ट आकस्मिक अवकाश, निरोधावकाश, अवकाश के बदले में क्षतिपूर्ति अवकाश व डे–ऑफ की स्वीकृति प्रदान की है।
- राजस्थान शिक्षा सेवा के सदस्य, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक, राजस्थान शिक्षा सेवा संघ, राजस्थान शिक्षक संघ, रूक्टा आदि के वार्षिक सम्मेलन भाग लेने पर प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 4 दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश दिनांक 1 अप्रैल 1983 से देय है। यह 30 नवम्बर के बाद देय नहीं है।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

SPECIAL CASUAL LEAVE

शैक्षिक समाचार राजस्थान

- चिकित्सा विभाग, खान एवं भूविज्ञान विभाग के शिक्षा संबधी कार्य करने वाले कर्मचारियों को एक सत्र में 15 दिन बाहर तथा 6 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।
- वन्ध्याकरण ऑपरेशन के लिये पुरूष राज्य कर्मचारियों को 6 दिन व महिला राज्य कर्मचारियों को 14 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।
- उस पुरूष राज्य कर्मचारी को जिसकी पत्नि वन्ध्याकरण की शल्य चिकित्सा कराती है तो उसे अपनी पत्नि की देखभाल के लिये 7 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।

1. अध्ययन अवकाश स्थाई राज्य कर्मचारी को ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए स्वीकृत किया जाता है जो कि उसके विभाग के कार्य के लिए जनहित में हो।
2. यह अवकाश उन राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत नहीं किया जाता है जिन्होंने 20 वर्ष या अधिक सेवा पूर्ण कर ली हो, किन्तु इसमें शिथिलता बरती जा सकती है कि यदि राज्य कर्मचारी के अवकाश के लौटने के बाद 5 वर्ष सेवा अवशेष रहती है तो अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
3. पूर्ण सेवाकाल में 24 माह व एक साथ 12 माह की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
4. अध्ययन अवकाश पदोन्नति एवं पेन्शन के लिए सेवा के रूप में माना जाएगा। इस अवकाश में अर्द्धवेतन एवं महंगाई भत्ता देय होगा, परन्तु यह अवकाश में डेबिट नहीं होगा।
5. अध्ययन अवकाश का उपभोग करने वाले को एक वर्ष के अध्ययन के लिए 3 वर्ष का तथा दो वर्ष के अध्ययन के लिए पाँच वर्ष का बांड भरना होगा।
6. अध्ययन के पश्चात् निर्धारित अवधि से पहले ही त्याग पत्र देने पर दण्ड स्वरूप अध्ययन अवधि में चुकाई गई राशि से दुगुनी राशि मय ब्याज के वसूल की जाएगी।
7. पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लेने का प्रमाण–पत्र व उत्तीर्ण की गई परीक्षा का प्रमाण–पत्र अध्ययन अवकाश स्वीकृत अधिकारी को भेजा जाना आवश्यक है।

शिक्षार्थियों को अवकाश –

एक शिक्षार्थी को असाधारण अवकाश के अलावा अन्य कोई अवकाश नहीं मिलता है। चिकित्सा प्रमाण–पत्र के आधार पर इन्हें असाधारण अवकाश उन्हीं शर्तों पर स्वीकार किया जा सकता है जो एक अस्थाई राज्य कर्मचारी पर प्रभावी होते हैं।

परिवीक्षाधीन को अवकाश –

एक परिवीक्षाधीन कर्मचारी को उस पर प्रभावी सेवा नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, यदि वह परिवीक्षणाधीन होने के अतिरिक्त अन्यथा रूप में किसी स्थाई पद को धारण करता है, अन्यथा वह एक नियमित रूप से नियुक्त अस्थाई कर्मचारी माना जाता है एवं परिवीक्षणाधीन व्यक्ति की यदि सेवाएँ समाप्त करनी हो तो उसे सेवा समाप्ति के नोटिस के अधिक का अवकाश नहीं दिया जाना चाहिए।

विशिष्ट आकस्मिक अवकाश –

अ) बन्ध्यकरण ऑपरेशन के लिए पुरूष को 6 दिन तथा महिला को 14 दिन उस पुरूष राज्य कर्मचारी जिसकी पत्नि बंध्याकरण की शल्य चिकित्सा करनी हो तो पत्नी की देखभाल के लिए ७ दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है। बंध्याकरण के असफल होने पर दूसरी बार ऑपरेशन कराने पर चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर 6 दिन का अवकाश देय है।

ट्यूबकटोमी ऑपरेशन बिगड़ने पर पुनः दुबारा ऑपरेशन कराने पर 14 दिन का अवकाश देय है। यदि ऑपरेशन से कोई जटिलता पैदा हो गई तो प्रमाण–पत्र के आधार पर पुरूष को 6 दिन व महिला कर्मचारी को 14 दिन का अतिरिक्त विशिष्ट आकस्मिक अवकाश देय है।

लूप लगवाने वाली महिला कर्मचारी को एक दिन का विशिष्ट अवकाश देय है।

ब) निरोधावकाश – एक राज्य कर्मचारी के परिवार या घर में किसी छूत का रोग लग जाने के फलस्वरूप कार्यालय में नहीं आने के आदेश द्वारा अपेक्षित कार्य से अनुपस्थित रहने के लिए 21 दिन का विशेष परिस्थिति में 30 दिन का निरोधावकाश देय है।

स) पुर्ननालीकरण – एक राज्य कर्मचारी को 21 का विशेष आकस्मिक अवकाश देय है, किन्तु अवकाश आकस्मिक अवकाश या नियमित अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकेगा।

द) पागल कुत्ते के काटने पर – जी.एफ.एण्डए.आर. परिशिष्ट–10 के अनुसार 30 दिवस तक अथवा कार्यालय विलम्ब से आने की अनुमति दी जा सकती है सक्षम चिकित्सक का प्रमाण–पत्र आवश्यक है।

शैक्षिक समाचार राजस्थान